

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प. 10(12)नविवि/3/2011

दिनांक :-  DEC 2015

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।


विषय :- पेट्रोल पम्प एवं एलपीजी गोदाम हेतु निर्धारण मानदण्डों बाबत।

सन्दर्भ :- आपका पत्र क्र. जविप्रा/अति.मु.न.नि. (बीपीसी)(एलपी)/2015/डी-162
दिनांक 17.11.2015

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 21.07.2015 के द्वारा स्पष्ट निदेश दिये गये थे कि पेट्रोल पम्प एवं एल.पी.जी. स्टोरेज गोदाम हेतु आबादी क्षेत्र से दूर होने का आशय इन प्रस्तावित स्थलों (पेट्रोल पम्प एवं एलपीजी गोदाम) से अन्य दुसरे ज्वलनशील/खतरनाक पदार्थों के भण्डारण से पर्याप्त दूरी (100 मीटर की परिधि में) रखी जाने से है।

इसके अतिरिक्त पेट्रोल पम्प व एल.पी.जी. गोदाम हेतु स्वीकृति निर्धारित भवन विनियमानुसार तथा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र/आदेश एवं MoRTH Guidelines के अनुसरण में जारी की जावें।

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय